

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 818 सन 2020

अनवान :-

1. दीपक कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री हरिसिंह पत्नी भरतसिंह जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ जिला चुरू ।
2. धन्नाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
3. निशा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
4. राकेश कुमार पुत्र कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ ।
5. सीता कुमारी पुत्री कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ ।
6. सुमन पुत्री कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ ।
7. गोतमसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 162/165 की कुल 13.5700 हैक में से 9047/27140 हिस्सा भूमि यानी 4.5235 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरिसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरिसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 की शादी के समय मायरे में प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 की बुआ है के नाम से दर्ज है किन्तु वाद भूमि सदामत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ही काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 को प्राप्त हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी परिवारिक समझौता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिग्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 बहिब के खातेदार


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरिसिंह ने प्रतिवादीया संख्या 1 को मायरे में दी गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 162/165 की कुल 13.5700हैक् में से 9047/27140 हिस्सा भूमि यानी 4.5235हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरिसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरिसिंह ने प्रतिवादीया संख्या 1 की शादी के समय मायरे में प्रतिवादीया संख्या 1 को दी गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 की बुआ है के नाम से दर्ज है किन्तु वाद भूमि सदामत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ही काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 को प्राप्त हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी परिवारिक समझौता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


उपजिल्हा अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 162/165 की कुल 13.5700हैक् में से 9047/27140 हिस्सा भूमि यानी 4.5235हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है वाद भूमि उसके दादा हरिसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 को मायरे में दी गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 काशत करते आ रहे हैं वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 को परिवारिक समझौता में प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वो काशत करते आ रहे हैं वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 162/165 की कुल 13.5700हैक् में से 9047/27140 हिस्सा भूमि यानी 4.5235हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 दोनो बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दीपक कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री हरिसिंह पत्नी भरतसिंह जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ जिला चुरु।
2. धन्नाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. निशा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. राकेश कुमार पुत्र कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ।
5. सीता कुमारी पुत्री कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ।
6. सुमन पुत्री कमला जाति जाट निवासी धोतिया तहसील राजगढ।
7. गोतमसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 818 सन 2020 निर्णय दिनांक-12/01/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 162/165 की कुल 13.5700हैव में से 9047/27140 हिस्सा भूमि यानी 4.5235हैव भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)